

प्रति,

श्री श्री ००० नं. १०,
उप विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र २ तन्हाय केन्द्र,
प्रति विहार नवी दिल्ली ।

विषय 171 अनुमान

संख्या: दिनांक: 19 अक्टूबर, 1994

विषय:- डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल 5 अन्हापुरम, तन्हाय, कलानी मेरठ रोड,
हापुर, अन्हापुर प्रमाण पर दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त है कि डी०ए०वी०
पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, हापुर को तन्हाय प्रमाण नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण
दिये जाने में कि राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रमाणों के अधिन आया
नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताछटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न
क्षात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से
वैयक्तिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कोसिफ कार डि
प्लोमेशन स्कूल तन्हाय प्रमाण नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषद् से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से
परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगी ।
- 5- संस्था केवल एवं शिक्षा उत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति के तहत तथा
अन्य मतलों से कम वेतनमान तथा अन्य मतलों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
आतंकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित
सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Principal
D.A.V. Public School
Delhi Road, HAPUR

Manager
D.A.V. Public School
Delhi Road, Hapur

7- राज्य सरकार द्वारा तय्य तय्य पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैसा उनका पालन होगा ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रूप/परिष्कारों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शासनों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय विद्यालय का निजी भवन मानकानुसंग बनवाकर शासन को 2 वर्ष के भीतर अर्पण कराया जाय तथा प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य/प्रदाधिकारी विद्यालय के वैतनिक पद पर कार्यरत नहीं होगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर या गिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अधीन,

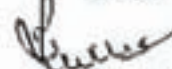
अधीन सचिवी
उप सचिव ।

पुनर् 3214111/15-7-1994 तदुद्दिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अधीन उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल मेरठ, रोड 5 अनापुरम अधीन कानौनी हापुड़ गाजियाबाद ।

अधीन है,



अधीन सचिवी
उप सचिव ।


Principal
D.A.V. Public School
Delhi Road, HAPUR


Principal
D.A.V. Public School
Delhi Road, Hapur